**<u>भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ</u>**

**फा. सं. 6/46/2024-डीजीटीआर**
**भारत सरकार**
**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**
**वाणिज्य विभाग (व्यापार उपचार महानिदेशालय)**
**चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110 001**

**दिनांक: 30 दिसंबर, 2024**

**<u>जांच शुरूआत अधिसूचना</u>**
**<u>मामला सं. एडी (ओआई) - 43/2024</u>**

**विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''मोनोआइसोप्रोपीलामाइन'' (एमआईपीए) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत - के संबंध में ।**

1. **फा. सं. 6/46/2024-डीजीटीआर**- समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे ''नियमावली'' भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए मै. एल्काइल अमाइन्स कैमिकल्स लिमिटेड (जिसे आगे ''आवेदक'' भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे ''प्राधिकारी'' भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''मोनोआइसोप्रोपीलामाइन'' (जिसे यहां आगे ''संबद्ध वस्तु'' अथवा ''विचाराधीन उत्पाद'' भी कहा गया है) के आयातों संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

## क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद ''मोनोआइसोप्रोपीलामाइन'' है जिसे ''एमआईपीए'' के रूप में भी जाना जाता है।

4. एमआईपीए एक कार्बनिक यौगिक, एक अमाइन है । यह अमोनिया जैसी गंध के साथ एक हाइग्रोस्कोपिक रंगहीन तरल है। इसका गलनांक -95.2°C है और इसका क्वथनांक 32.4°C है। यह जल में मिश्रित हो जाता है। यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है, और -37°C पर इसका फ्लैस प्वाइंट है। एमआईपीए को एनहाइड्रस (99.5%) के रूप में उत्पादित किया जाता है। एनहाइड्रस रूप में पानी मिलाकर इसका तरल रूप प्राप्त किया जाता है, जिसका सांद्रण स्तर क्रेता की जरूरत के अनुसार वांछित स्तर तक कम किया जाता है। इसे वाणिज्यिक रूप से अनुप्रयोग या अंतिम उपयोग के आधार पर एनहाइड्रस रूप और जलीय रूप दोनों में बेचा जाता है।

5. इस उत्पाद का प्रयोग एट्राजाइन (अन्य हर्बिसाइड) के मुख्य घटक रूप में ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड नुस्खों में प्लास्टिक के लिए एक रेगुलेटिंग एजेंट के रूप में, कोटिंग सामग्री, प्लास्टिक, कीटनाशी, रबड रसायन और भेषज के कार्बनिक सिंथेसिस में मध्यवर्ती रूप में और पैट्रोलियम उद्योग में वर्धक के रूप में प्रयोग किया जाता है।

6. विचाराधीन उत्पाद का समर्पित एचएस कोड नहीं है। इसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29, के उप-शीर्षक 2921 11 90, 2921 19 90 और 2921 19 20 के अंतर्गत आयातित किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

## ख. पीसीएन पद्धति

7. आवेदक ने निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्याओं (पीसीएन) का प्रस्ताव किया है:

i. एमआईपीए बल्क
ii. एमआईपीए पैक्ड

8. हितबद्ध पक्षकारों को इस जांच की शुरूआत की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तावित पीयूसी और पीसीएन पद्धति के संबंध में उनकी टिप्पणियाँ/ सुझाव प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है।

## ग. समान वस्तु

9. आवेदक ने अनुरोध किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से निर्यात किए गए उत्पादों में कोई खास अंतर नहीं है, तथा ये दोनों समान वस्तुएँ हैं। आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद, भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और करते रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं, और इसलिए, नियमावली के अंतर्गत इन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। इस प्रकार, वर्तमान जांच की शुरूआत के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद को प्रथम दृष्टया संबद्ध देश से आयात किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

## घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

10. नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

*''घरेलू उद्योग'' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ''घरेलू उद्योग'' पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है ।*

11. यह आवेदन मेसर्स अल्काइल एमाइंस केमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि वे भारत में संबंधित वस्तुओं के एकमात्र उत्पादक हैं। आवेदक ने प्रमाणित किया है कि वे संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या उत्पादक या भारत में किसी आयातक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं हैं। आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।

12. प्रदत्त सूचना के आधार पर, यह देखा गया है कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में 'घरेलू उद्योग' है और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मानदंडों को पूरा करता है।

## ड. जांच की अवधि

13. जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 (12 माह) की है। क्षति जांच अवधि अप्रैल 2020 से मार्च 2021, अप्रैल 2021 से मार्च 2022, अप्रैल 2022 से जून 2023 और जांच की अवधि है।

## च. विषय देश

14. वर्तमान जांच में विषय देश चीन जन.गण. है।

## छ. पाटन मार्जिन की गणना

### i. चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

15. आवेदक ने चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) (I) का उल्लेख और उस पर भरोसा किया है और यह दावा किया है कि चीन जन.गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और यह कि चीन जन.गण. के उत्पादकों को यह दर्शाने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद हैं। जब तक चीन जन.गण. के उत्पादक यह नहीं दर्शाते हैं कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद हैं तब तक उनके सामान्य मूल्य को पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुलग्नक-I के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

16. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत और कीमत से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, जिस कीमत पर विचाराधीन उत्पाद को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश को बेचा गया है, उसके संबंध में आवेदक ने प्रस्तुत किया कि इसे अपनाया नहीं जा सकता क्योंकि विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन भारत, चीन, यूरोपीय संघ और यूएसए में होता है, और जबकि चीन में विचाराधीन उत्पाद के लिए एक समर्पित कोड होता है, लेकिन यूरोपीय संघ या यूएसए में इसका कोई समर्पित कोड नहीं होता है। इसलिए, किसी अन्य देश से निर्यात मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यूएसए से भारत में आयात की मात्रा सामान्य मूल्य के आधार पर विचार करने के लिए कम है।

17. अत:, आवेदक ने भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया, जिसे उचित लाभ मार्जिन के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय के साथ समायोजित किया गया। आवेदक द्वारा प्रस्तावित सामान्य मूल्य पद्धति को जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ उपयुक्त माना गया है।

### ii. निर्यात मूल्य

18. आवेदक ने बाजार की जानकारी के अनुसार आयात लेनदेन में रिपोर्ट की गई सीआईएफ कीमत को अपनाया है। प्राधिकरण ने सूचना की सत्यता की जांच करने के लिए डीजीसीआईएंडएस डेटा के आधार पर आयात मूल्य पर विचार किया है। समुद्री माल, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय माल, प्रलेखन शुल्क, हैंडलिंग और समाशोधन शुल्क और क्रेडिट लागत के कारण समायोजन कारखानाद्वार निर्यात मूल्य पर पहुंचने के लिए किया गया था।

### iii. पाटन मार्जिन

19. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानाद्वार स्तर पर की गई है जो प्रथमदृष्ट्या सिद्ध करती है कि संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम

सीमा से अधिक है, बल्कि काफी अधिक है। इस प्रकार, इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है।

## ज. क्षति तथा कारणात्मक संबंध

20. घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है। आवेदक ने कथित पाटित आयातों के कारण हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं की मात्रा निरपेक्ष के साथ-साथ सापेक्ष रूप में भी बढ़ी है। आवेदक की कीमतों पर सकारात्मक मूल्य कटौती और मूल्य दमन प्रभाव पड़ा है। आवेदक नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल दोनों में उल्लेखनीय गिरावट के साथ वित्तीय रूप से पीड़ित है। संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद, घरेलू उद्योग ने उत्पादन और बिक्री में गिरावट देखी है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से और घरेलू बिक्री में उल्लेखनीय गिरावट आई है। विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं के पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं।

## झ. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

21. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, विचाराधीन उत्पाद में कथित पाटन तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति और ऐसी क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में ओवदक द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और एडी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतदद्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी मात्रा और प्रभाव के निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उपयुक्त राशि की सिफारिश करने के लिए जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, एतदद्वारा पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं।

## ञ. प्रक्रिया

22. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का इस जांच में पालन किया जाएगा।

## ट. सूचना प्रस्तुत करना

23. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों <dir13-dgtr@gov.in> और <ad12-dgtr@gov.in> जिसकी एक प्रति <adv11-dgtr@gov.in> और <consultant-dgtr@nic.in> को ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

24. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार और भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है । ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना, ए डी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में विहित ढंग और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

25. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर इस जांच शुरूआत अधिसूचना, एडी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा विहित प्रपत्र और ढंग से वर्तमान जांच से संगत अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

26 प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

27. हितबद्ध पक्षकारों को आगे यह निर्देश दिया जाता है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना के लिए और आगे की प्रक्रिया के लिए वे व्यापार उपचार महानिदेशलय की आधिकारिक वैबसाइट (*https://www.dgtr.gov.in/)* को नियमित रूप से देखते रहें ।

## ठ. समय सीमा

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ई-मेल पते <dir13-dgtr@gov.in> और <ad12-dgtr@gov.in> पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए, साथ ही उसकी एक प्रतिलिपि <adv11-dgtr@gov.in> और <consultant-dgtr@nic.in> को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से दायर किए गए आवेदन के अगोपनीय संस्करण को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा प्रसारित किए जाने या एडी नियम, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमों के अनुसार अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं।

29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस अधिसूचना में यथा निर्धारित उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

30. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार सूचना प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, वहां उसे एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार का पर्याप्त कारण बताना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए ।

## ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

31. वर्तमान जांच में जहां कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है या प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करता है, वहां ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

32. ऐसे अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय या अगोपनीय" स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी से किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

33. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है । ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपोक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

34. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश में उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) या सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय अंश का उचित और पर्याप्त अनुकृति होना अपेक्षित है।

35. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को यह दर्शाना होगा कि ऐसी सूचना का सारांश नहीं हो सकता है और और ए डी नियमावली 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार प्राधिकारी की संतुष्टि के आधार पर ऐसे कारणों का पर्याप्त विवरण प्रस्तुत करना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है ।

36. हितबद्ध पक्षकार, दस्तावेजों के अगोपनीय संस्करण की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

37. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीयता के दावे के पर्याप्त कारणों के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

38. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को प्राधिकारी स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं हैं या यदि सूचना प्रदाता सामान्य अथवा सारांश रूप में सूचना को सार्वजनिक करने या उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वे ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

**ढ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

39. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई मेल के जरिए भेज दें । अनुरोध/ उत्तर/ सूचना के अगोपनीय अंश को परिचालित नहीं करने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है ।

**ण. असहयोग**

40. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

दर्पण जैन

**(दर्पण जैन)**
**निर्दिष्ट प्राधिकारी**